भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1990**

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

**एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी तंत्र**

1990. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में एमएसएमई के लिए एक नए ब्याज सब्सिडी तंत्र के साथ-साथ निर्यात करने वाले छोटे व्यवसायों को ऋण की गारंटी देने के लिए एक कोष भी बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना एमएसएमई और एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों को कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी; और

(घ) उक्त योजना की अवधि क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) जो वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है, के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के निर्यात को मजबूत करने और व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने के लिए दो उप-योजनाएं अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा हैं। निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत, ब्याज सहायता से संबंधित निम्नलिखित दो मध्यक्षेप शुरू किए गए हैं:

i. पहला मध्यक्षेप शिपमेंट से पहले और बाद के निर्यात ऋण के लिए ब्याज सहायता से संबंधित है, जिसका उद्देश्य निर्यात ऋण की लागत को कम करना और एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली कार्यशील पूंजी की बाधाओं को कम करना है। इस मध्यक्षेप के अंतर्गत, पात्र ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिए गए शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। इस मध्यक्षेप के अंतर्गत 2.75 प्रतिशत की आधार ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये के अध्यधीन है।

ii. ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता- डिजिटल चैनलों का उपयोग करने वाले निर्यातकों की सहायता करने के लिए, ब्याज सहायता और आंशिक ऋण गारंटियों के साथ संरचित ऋण सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। इस मध्यक्षेप के अंतर्गत, उधारकर्ता की श्रेणी और सुविधा के प्रकार के आधार पर 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत का गारंटी कवरेज उपलब्ध है। 2.75% की ब्याज सहायता उपलब्ध है, जो प्रति आवेदक 15 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के अध्यधीन है।

निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) नवंबर 2025 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थानों (एमएलआई) को पात्र निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करना है। यह योजना इस योजना की घोषणा की तारीख से लेकर 20,000 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए गारंटी जारी होने तक या दिनांक 31.03.2026 तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेगी।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई), अन्य बातों के साथ-साथ, उपस्करों/मशीनरी की खरीद से जुड़ी अपनी परियोजनाओं के लिए सुसंचालित निर्यातक एमएसएमई (विनिर्माण या सेवा में लगे हुए) को 20 करोड़ रुपये तक की सावधि ऋण सहायता के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करती है। यह योजना दिशा-निर्देश जारी होने की तारीख से 4 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

*****